

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 10, बुधवार, शाके 1947- दिसम्बर 31, 2025 Pausa 10, Wednesday, Saka 1947- December 31, 2025	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 17, 2025

संख्या एफ14(1)(1)श्रम/विधि/67-पार्ट- 111/00294 :-भवन एवम अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम-1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-28) की धारा-3 के प्रयोजनार्थ एवम सपठित भवन एवम अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम-1998 के नियम-2 के खण्ड (एफ) के अनुसरण मे पूर्व में प्रसारित अधिसूचनाओं की निरन्तरता में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सम्मुख अंकित क्षेत्रों के लिए एतद्वारा “उपकर संग्रहक” (Cess Collector) नियुक्त करती है:-

क्र.सं.	अधिकारी	जिला/क्षेत्र जिसके लिए नियुक्त किया जाता है
1	सहायक श्रम आयुक्त, कुचामन-डीडवाना	कुचामन-डीडवाना जिला
2	सहायक श्रम आयुक्त, बाड़मेर	बाड़मेर जिला
3	सहायक श्रम आयुक्त, बालोतरा	बालोतरा जिला
4	श्रम कल्याण अधिकारी, फलोदी	फलोदी जिला
5	सहायक श्रम आयुक्त, कोटपूतली-बहरोड	कोटपूतली-बहरोड जिला
6	उप श्रम आयुक्त, खैरथल-तिजारा	खैरथल-तिजारा जिला
8	श्रम कल्याण अधिकारी, सलूमबर	सलूमबर जिला
7	सहायक श्रम आयुक्त, राजसमंन्द	राजसमंन्द जिला
8	श्रम कल्याण अधिकारी, डीग	डीग जिला
9	श्रम कल्याण अधिकारी, ब्यावर	ब्यावर जिला
10	श्रम कल्याण अधिकारी, ब्यावर	ब्यावर जिला

राज्यपाल के आदेश से,
 धर्मपाल सिंह,
 अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं,
 पदेन संयुक्त शासन सचिव,
 राजस्थान, जयपुर।